

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा./नियुक्ति-3/12102(210)/सी.भ./आवंटन/व.अ.-गणित/2023 दिनांक : 07.10.2023

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय।

विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 विषय गणित में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का पत्रांक एफ.6 (06)/गणित/परीक्षा 'ए' /व.अ. (मा.शि.)/रा.लो.से.आ./2022-23/55 दिनांक 29.09.2023 दिनांक 05.10.2023 एवं दिनांक 06.10.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के प्रासंगिक पत्र द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 विषय गणित में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अभ्यर्थियों का श्रेणीवार वरीयता क्रम से अन्तिम रूप से चयन कर स्पष्ट पात्र अभ्यर्थियों की अभिशंषा मय विस्तृत आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये है।

उक्त के क्रम में संलग्न सूची (गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र) में विवरणांकित अभ्यर्थियों का सम्भाग आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक : 18.05.2020 में वर्णित शर्तों तथा संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) राजस्थान सरकार के पत्रांक शासन के पत्रांक प. 17(7) शिक्षा-2/2016 जयपुर दिनांक 02.07.2020 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन काउंसलिंग दिनांक 09.10.2023 को आयोजित कर काउंसलिंग दिनांक को ही नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किया जावे तथा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 30.10.2023 रखी जावे एवं जारी नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाकर प्रति ई-मेल आई.डी. ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

साथ ही वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 विषय गणित में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन पश्चात नियुक्ति एवं पदस्थापन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है -

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिव्यांग चयन वर्ग में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से आपको आवंटित अभ्यर्थी की दिव्यांगता/दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आप द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन काउंसलिंग दिनांक को ही करवाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता/दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण उपरान्त ही उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने है।
2. राजस्थान राज्य के निजी विश्वविद्यालय/संस्था एवं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय/संस्था से अर्जित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाया जाकर सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित प्रशैक्षिक/खेल योग्यता प्रमाण पत्र वैध व मान्य पाये जाने पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किया जाना है। उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच का कार्य आपके कार्यालय स्तर पर विज्ञ अधिकारियों का दो सदस्य दल का गठन कर वाहक स्तर पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्था में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दस्तावेजों के सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करावे। तत्समय तक उक्त अभ्यर्थियों की केवल काउंसलिंग करवाई जानी है, निर्गमन/पदस्थापन

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.07 20:33:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4868808



आदेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र वैध व मान्य पाये जाने पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये जावें।

3. वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 में आयोग को प्रेषित अर्थना में पूर्व सम्भाग के अनुसार ही रिक्तियों का निर्धारण किया गया है अतः आवंटित अभ्यर्थियों की आवंटित सम्भाग स्तर पर ही काउंसलिंग आयोजित की जावें एवं काउंसलिंग हेतु पूर्व सम्भाग के अनुसार ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाना है।

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 में आपको आवंटित अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु वरीयता एवं काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले विद्यालयों का निर्धारण निम्न प्रक्रियानुसार किया जावें :-

(A) वरिष्ठ अध्यापक हेतु सम्भाग को पदस्थापन के लिए उपलब्ध करवाये गये अभ्यर्थियों की संभाग स्तर पर आयोजित काउंसलिंग हेतु संभाग में वरिष्ठ अध्यापक के समस्त (आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या तक)/125 प्रतिशत (जो भी कम है) रिक्त पद हेतु विद्यालयों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :

1. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 व 12 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
2. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 06 से 08 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
3. यदि बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित किए जाने वाले रिक्त पदों की संख्या (आवंटित अभ्यर्थी) से कम होने पर शहरी क्षेत्र के क्रमशः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिन्दु संख्या 01 व 02 के क्रमानुसार।

(B) उपर्युक्त निर्देशानुसार पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जावें।

(C) टीएसपी क्षेत्र हेतु टीएसपी नियुक्ति नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(D) सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के अनुसार वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावें :-

- I. 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी। (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- II. विधवा महिला-विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र मय पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- III. परित्यक्ता महिला- विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री की प्रति एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- IV. एकल महिला (अविवाहित)- अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- V. भूतपूर्व सैनिक (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- VI. पति-पत्नी प्रकरण-पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो, में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में आवंटित मण्डल में कार्यरत हो तो पति अथवा पत्नी को कार्यरत पति/पत्नी के वर्तमान पदस्थापित मण्डल में रिक्ति उपलब्ध होने पर वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जावें। इसके लिए कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र को आधार माना जावें। यदि आवंटित मण्डल में पति/पत्नी पूर्व से कार्यरत नहीं है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जावें।
- VIII. पति-पत्नी प्रकरण-उक्त भर्ती में पति-पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में एवं एक ही मण्डल आवंटित होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी में से किसी एक को प्राथमिकता उपलब्ध कराने का आयोग

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.07 20:33:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4868808



- की मेरिट अनुसार) के अनुसार प्राथमिकता दी जावे। यदि पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग मण्डल आवंटित होता है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जावे।
- IX. शहीद परिवार के आश्रित को सम्बन्धित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- X. ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता, पति/पत्नी असाध्य रोग (ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी) (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- XI. महिला अभ्यर्थी (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- XII. अन्य शेष अभ्यर्थी (आयोग की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित सम्भाग पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
5. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
6. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-आ/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
8. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
11. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
13. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.07 20:33:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4868808



14. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।
17. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
18. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
19. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी।
20. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावे। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।
21. निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त कर, नियुक्ति निरस्त आदेश की प्रति मय मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
22. आपके मण्डल को पदस्थापन हेतु उपलब्ध करवाये गये अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु मण्डल में विद्यालयों को प्रदर्शित करते समय विभिन्न विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इत्यादि) में शिक्षा विभाग के स्वीकृत कैंडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित किये जा चुके पदों में से वर्तमान में रिक्त पदों को भी प्रदर्शित किया जाना है।
आपके मण्डल को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थापन लिपिक को प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित दिनांक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

शेष शर्तें पूर्व दिशा-निर्देशानुसार यथावत रहेगी।

संलग्न:- 01. सम्भाग आवंटित अभ्यर्थियों की सूची (गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र)

02. प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 18.05.2020

03. शासन का पत्र दिनांक 27.08.2021

04. इस कार्यालय का पत्र दिनांक 02.07.2020

05. कार्मिक विभाग का परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा का, राजस्थान सरकार, जयपुर।
वरीष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 विषय गणित, गैर-अनुसूचित / अनुसूचित क्षेत्र हेतु

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.10.07 20:33:17 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4868808



चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन के आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

4. सहायक निदेशक शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पोर्टल पर मेपिंग सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थी.....

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.07 20:33:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4868808



कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2022 विषय-गणित में अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु सम्भाग आवंटन सूची

क्रमांक:-शिविरा/मा./नियुक्ति-3/12102(210)/सी.म./आवंटन/व.अ.-गणित/2023 दिनांक 07.10.2023

| S.NO | ROLL NO. | MERIT NO. | NAME | FATHER NAME | DOB | SELE. CAT. | H. CAT. | OWN CAT. | Allotted Range |
|------|----------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|------------|---------|---------------|----------------|
| 1 | 2053489 | 1 | YASHIKA PANDYA | PRAKASH CHANDRA PANDYA | 31-Oct-00 | TGEM | | GE,WE,TSP-UR | Udaipur |
| 2 | 2391145 | 2 | MEHUL PANCHAL | LAXMAN PANCHAL | 21-Mar-97 | TGEM | | BC,TSP-UR | Udaipur |
| 3 | 2046713 | 3 | NIHAR JAIN | KULSHRESTH JAIN | 11-Apr-01 | TGEM | | GE,TSP-UR | Udaipur |
| 4 | 2048035 | 4 | RAJESH PATIDAR | PAVAN PATIDAR | 23-Feb-01 | TGEM | | BC,TSP-UR | Udaipur |
| 5 | 2396617 | 5 | MOHIT SHARMA | NAVEEN SEVAK | 11-Mar-98 | TGEM | | BC,TSP-UR | Udaipur |
| 6 | 2054199 | 6 | KARTIK PATIDAR | BHARAT PATIDAR | 02-Sep-00 | TGEM | | GE,TSP-UR | Udaipur |
| 7 | 2176596 | 7 | AKSHAY BHAVSAR | ARJUN BHAVSAR | 12-Apr-94 | TGEM | | BC,TSP-UR | Udaipur |
| 8 | 2058043 | 8 | JATIN SHAH | KAMLESH SHAH | 24-Feb-98 | TGEM | | GE,TSP-UR | Udaipur |
| 9 | 2348453 | 9 | SURAJ KUMAWAT | RADHESHYAM KUMAWAT | 09-Jul-99 | TGEM | | GE,TSP-UR | Udaipur |
| 10 | 2056436 | 10 | EKTA BHATT | BHARAT KUMAR BHATT | 30-Dec-98 | TGEM | | GE,WE,TSP-UR | Udaipur |
| 11 | 2049918 | 11 | VANDANA PATIDAR | NARESH CHANDRA PATIDAR | 16-Aug-00 | TGEM | | BC,WE,TSP-UR | Udaipur |
| 12 | 2051681 | 12 | MOHIT PANDYA | PARMESHVAR PANDYA | 13-Feb-98 | TGEM | | GE,TSP-UR | Udaipur |
| 13 | 2169320 | 13 | GARIMA KALAL | MANGILAL KALAL | 01-Nov-94 | TGEM | | BC,WE,TSP-UR | Udaipur |
| 14 | 2169930 | 14 | NIKHIL AKOT | LALIT AKOT | 10-Mar-99 | TGEM | | GE,TSP-UR,EWS | Udaipur |
| 15 | 2172942 | 15 | DEEPAK SALVI | LAXMAN SALVI | 01-Mar-98 | TSCM | | TSP-SC | Udaipur |

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.07 20:33:08 IST
Reason: Approved

Page 1 of 1

RajKaj Ref No. : 4868815

